कोविड–19
अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः आईडीएसपी/कोरोना/2021–22/75 दिनांकः 12/04/2021

आदेश

प्रदेश में कोविड–19 से संक्रमित मरीजों की बढती संख्या के परिप्रेक्ष्य में आमजन को कोविड–19 का सहज, सुलभ एवं सुगम उपचार उपलब्ध कराने तथा मानव जीवन को बचाने के दृष्टिगत व्यापक लोकहित में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.04.2021 के द्वारा राज्य में स्थित ऐसे निजी अस्पताल जिनकी शैय्या क्षमता 60 या 60 से अधिक है, की कुल शैय्या क्षमता के 25 प्रतिशत एवं आईसीयू में भी 25 प्रतिशत बैड्स कोविड–19 मरीजों के उपचार हेतु आरक्षित किये गये थे।

विभाग के आदेश दिनांक 05.04.2021 की निरन्तरता में राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में स्थित ऐसे निजी अस्पताल जिनकी शैय्या क्षमता 60 से अधिक व 100 से कम है, उनके प्रबन्धन को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी कुल शैय्या क्षमता के 30 प्रतिशत एवं आईसीयू में भी 30 प्रतिशत बैड्स तथा ऐसे निजी अस्पताल जिनकी शैय्या क्षमता 100 व 100 से अधिक है, वे अपनी कुल शैय्या क्षमता के 40 प्रतिशत एवं आईसीयू में भी 40 प्रतिशत बैड्स कोविड–19 मरीजों के उपचार हेतु आरक्षित रखते हुए मरीजों का समुचित उपचार करें। यह आदेश दिनांक 13.04.2021 से प्रभावी होंगे।

उक्त अस्पतालों में कोविड–19 से संक्रमित मरीजों का उपचार विभाग की अधिसूचना दिनांक 03.09.2020 के द्वारा निर्धारित दरों व शर्तों पर किया जाए। उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

सिद्धार्थ 12/4/21

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः आईडीएसपी/कोरोना/2021–22/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान,सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, मा0 चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राज0 को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने मुख्यालय पर स्थित ऐसे निजी चिकित्सालय जिनकी उपरोक्तानुसार बैड क्षमता है उनसे समन्वय कर उनमें कोविड–19 से संक्रमित मरीजो का ईलाज अस्पताल के परिसर में ही पृथक से वार्ड/विंग/फ्लोर में करने हेतु निर्देशित करें।
8. समस्त प्रधानाचार्य एव नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त निजी चिकित्सालय, राजस्थान।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
15. निजी रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner